



- उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा या सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो;
- उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा या किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिये है, जसि पर संघ की कार्यकारी शक्तिका वसितार होता है;
- सभी मामलों में जहाँ मौत की सज़ा दी गई है।

#### • अनुच्छेद 161:

- इसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क़्षमा, राहत देने, वरिाम या छूट देने या नलिंबति करने, परहारि करने या कम करने की शक्ति होगी जसिसे राज्य की शक्तिका वसितार होता है।

- वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा वाले कैदियों को क़्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 साल की जेल की सज़ा काट चुका हो।

#### ■ दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

- दया याचिकाओं से नपिटने के लिये कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में कानून की अदालत में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका रशितेदार राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएँ प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टपिपणियों और सफिरशियों के लिये भेज दिया जाता है।

#### ■ दया याचिका दायर करने का आधार:

- दया का कार्य कैदी का अधिकार नहीं है। वह इसका दावा नहीं कर सकता।
- दया या क़्षमादान उसके स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, उसकी पारिवारिक वित्तीय स्थितियों के आधार पर दी जाती है क्योंकि वह रोजी रोटी का एकमात्र अर्जक है या नहीं।

#### ■ न्यायिक समीक्षा:

- एपु सुधाकर और आंध्र प्रदेश सरकार (2006) एवं अन्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क़्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- न्यायालय ने कुछ आधार नरिधारति किये जनि पर याचिकाकर्ता द्वारा है:

- यदि आदेश बेबुनयिदी तरीके से पारति कया जाता है।
- यदि पारति आदेश दुर्भावनापूर्ण है।
- यदि आदेश पूरी तरह से अपरासंगिक विचारों के प्रभाव में पारति कया गया है।
- अगर आदेश में मनमानी की भावना व्याप्त है।

## दया याचिका से जुड़े कुछ अहम फैसले:

- **1981**: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क़्षमा देने की शक्तिका प्रयोग मंत्रपरिषद की सलाह पर कया जाना चाहिये।
- **1994**: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संवधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्तिका प्रयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा।
- **1989**: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क़्षमादान की शक्ति के दायरे की वसितार पूर्वक जाँच की थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संवधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क़्षमा अर्थात् दंडादेश का नलिंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है।

## क़्षमादान की शक्ति से संबंधित कुछ कीवर्ड:

- **क़्षमा (Pardon)**: इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सज़ा को दंड, दंडादेशों एवं नरिरहताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
- **लघुकरण (Commutation)**: इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।
- **परहारि (Remission)**: इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है, उदाहरण के लिये दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।
- **वरिाम (Respite)**: इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सज़ा के प्रावधान को कनिही वशिष परस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सज़ा को परिवर्तित करना।
- **प्रवलिंबन (Reprieve)**: इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिये किसी सज़ा (वशिषकर मृत्युदंड) के नषिपादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी

को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिये समय देना है।

## अन्य देशों के प्रावधान:

### ■ संयुक्त राज्य अमेरिका:

- अमेरिका का संविधान महाभयिग के मामलों को छोड़कर राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत अपराधों के लिये प्रवर्तिबन अथवा क्षमादान करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि राज्य कानून के उल्लंघन के मामलों में यह शक्ति राज्य के संबंधित राज्यपाल को दी गई है।

### ■ यूनाइटेड किंगडम:

- यूनाइटेड किंगडम में संवैधानिक राजा मंत्रसित्रीय की सलाह द्वारा अपराधों हेतु क्षमा या दंडवरीम कर सकता है।

### ■ कनाडा:

- आपराधिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेरल बोर्ड ऐसी राहत देने हेतु अधिकृत है।

## नषिकर्ष:

- दया याचिका एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करती है जो स्थिति और परस्थितियों के आधार पर वरदान या अभशाप दोनों हो सकती है। दया याचिका को मंजूरी देने में अनावश्यक बाधाएँ एवं देरी से दोषियों तथा पीड़ितों दोनों को गंभीर असुवधि हो सकती है।
- यह अनजाने/अनायास न्याय में देरी कर सकता है जिससे पीड़ितों को कभी भी उचित एवं नषिकर्ष न्याय नहीं मलि पाता है।
- यह पीड़ित के दर्द और पीड़ा को और बढ़ाएगा। भारतीय न्यायपालिका की उचित सुवधि एवं सुचारु कामकाज हेतु दया याचिका दायर करने तथा क्षमा देने में अनावश्यक देरी को रोकने के लिये उचित सीमा अवधि व उचित नीतियों की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी कसिी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधसिीपति करने के लिये रपिीरट भेजना
2. मंत्रियों की नयुिर्ता करना
3. राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वधिार के लिये आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नयिम बनाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधियी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि। वधियिका के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

## स्रोत: द हद्दि